

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
11-12-19	<p>पत्रावली द्वारा पेशा हुई। जमीन अधिबक्ता हाजिर। प्रकरण में अजली कसबूद नो रिमनाशिल गैरहाजिर। इनके विरुद्ध दफ्तरका कामवही की जाती है। उपर प्रकरण में जमीन अधिबक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। दोराने बहस जमीन अधिबक्ता ने मौजा 'विश्वेश्वर' का गोलिया पतवा हल्का बसडखानजी तहसील पासवतपुर के खसरा सं. 37, 63, 64, 65 में फर्जनाम रामनिवास पुत्र भगवानाराम के स्थान पर रामकिशन पुत्र भगवानाराम तथा खसरा सं. 435, 436, 437, 438 में जमीन का नाम 'रामकिशन पुत्र भगवानाराम' के स्थान पर 'रामकिशन पुत्र भगवानाराम' दर्ज किये जाने का निवेदन किया।</p> <p>दोसरे बहस पर मसन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, प्रकरण का मकलौका किया। काद अवलोकन प्रकरण में निहित तथ्यों अनुसार उक्त जमीन पर प्ल 136 LRA लागू दुरुस्त करने रा माथ रेकॉर्ड स्वीकार किया जागा व्याप्तसंगत है।</p> <p>कारण: उक्त जमीन पर प्ल 136 LRA स्वीकार कर मौजा विश्वेश्वर का गोलिया पतवा हल्का बसडखानजी तहसील पासवतपुर के खसरा सं. 222 के खसरा सं. 37 रकबा 1.20 हे०, खसरा सं. 63 रकबा 1.63 हे०, खसरा सं. 64 रकबा 0.01 हे०, खसरा सं. 65 रकबा 0.08 हे० कुल रकबा 2.92 हे० में फर्जनाम 'रामनिवास पुत्र भगवानाराम' के स्थान पर 'रामकिशन पुत्र भगवानाराम' रा माथ रेकॉर्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी,  
 जसवन्तपुरा (जालोर)

बनाम

किस्म मुकदमा

प्रकरण संख्या...../.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जोर हुकम की तारीख में जारी हुए
	<p>फाता है तथा खाना सं. 56 के व्यसरा सं. 435 रकबा 0.38 है, खाना सं. 436 रकबा 0.01 है खाने सं. 437 रकबा 0.08 है, खाने सं. 438 रकबा 6.13 है कुल रकबा 6.60 है मैं पुर्ण का नाम ' रामकरण पुत्र भगवानाराम ' के स्थान पर ' रामकिशन पुत्र भगवानाराम ' दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। तहसील कार जावतपुरा को तहरीर जारी हो।</p> <p>मिलल फौजल शुमार होकर नंबर से कम हो व दायित्व दफ्तर हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी,  
जसवन्तपुरा (जालोर)